

मूल वाद में संशोधित डिक्री  
बमुकद में ईब्दाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक  
प्रकरण संख्या :- 97/2024  
वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मंजू देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ (राज.)

बनाम

- वादीया

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तह. संगरिया जिला हनुमानगढ
2. गुरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
3. गुरमीत कौर पत्नि निरजन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ
4. चरणजीतकौर पुत्री निरजनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
5. जगसीर सिंह पुत्री निरजनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
6. सुखदेवकौर पत्नि करनैलसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
7. हरजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
8. हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
9. चडसिंह पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ
12. राजस्थान मरुधरा ग्रामिण बैंक शाखा हरिपुरा
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

डिक्री



-प्रतिवादीगण

दिनांक :- 29.12.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे  
बहाजरी श्री राजेश बुढानियां वकील वादी मिन जार्मिन मुदई श्री मनीराम सहू प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 मिन  
जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव  
मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

मंजू देवी पत्नी सुभाष जाति जाट सा. भैरूसरी खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा की कब्जा  
काश्त की भूमि:-

प.न.	मु.न.	किला नं.
188/122	56	19/0.253 हैं 21/1/0.228 हैं 21/2/0.025 हैं गै.मु खाला 22/1/0.228 हैं 22/2/0.025 हैं गै.मु खाला 23/1/0.228 हैं 23/2/0.025 हैं गै.मू खाला 24/1/0.228 हैं 24/2/0.025 हैं गै.मु. खाला कुल 1.265 हैं नहरी. 1.165 हैं गै.मु खाला 0.100 हैं

- (1) कुलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैलसिंह 1/4 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा, (2) चडसिंह पुत्र हरिसिंह 1/4 हि जाति कुम्हार सा.हरिपुरा खातेदार, (3) गुरदीपसिंह पुत्र करनैलसिंह 1/16 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ, (4) हरजिन्द्रसिंह पुत्र करनैलसिंह 1/16 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ, (5) हरदीपसिंह पुत्र करनैलसिंह 1/16 हि जाति कुम्हार सा.हरिपुरा खातेदार राहिन राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक शाखा हरिपुरा, (6) सुखदेवकौर पत्नी करनैलसिंह 1/16 हि जाति कुम्हार सा.हरिपुरा खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ, (7) गुरमीतकौर पत्नी निरजनसिंह 1/12 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा खातेदार, (8) चरणजीतकौर पुत्री निरजनसिंह 1/12 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा खातेदार, (9) जगसीरसिंह पुत्र निरजनसिंह 1/12 हि जाति कुम्हार सा. हरिपुरा खातेदार

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

संगरिया

प.न. मु.न. किला नं.

187/123

66

4/0.253 है 5/1/0.228 है 5/2/0.25 है गै.मु रास्ता 6/1/0.228 है  
6/2/0.025 है गै.मु रास्ता 7.8/0.253 है प्र 13/2/0.127 है 14/0.253  
है 15/1/0.228 है. 15/2/0.025 है गै.मु रास्ता कुल 1.898 है नहरी 1.823  
है गै.मु रास्ता 0.075 है


अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया  
है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित  
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में रंथगन आदेश आदि नहीं है  
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंसा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश  
दिये जाते हैं। उप तहसीलदार भू.अ. ढाबा के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/307 दिनांक 20.11.2025  
के माध्यम से विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारों अपना-अपना वहन



- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋण काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य  
पक्षकारों का अमल दरामद कर दि या जावे।

निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की  
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक  को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.12.2023 को खुले न्यायालय में जारी  
किया गया।

  
(जय कौशिक)  
सहायक क्लर्क एवं  
उपखण्ड अधिकारी, एव  
संगरिया